

मार्किट कमेटी पंचकूला

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मार्किट कमेटी, पंचकूला द्वारा पंचकूला, पिंजौर एवं कालका क्षेत्र में किसान/अपनी मण्डियों में बैठने वाले सभी किसान/वैण्डर से अनुरोध है कि किसान/अपनी मण्डियों में अपना सामान रखते हुए यह ध्यान रखें कि आम जनता के लिये आने- जाने का पर्याप्त रास्ता छोड़ा जाए। किसान/अपनी मण्डियों में रात्रि 10 बजे तक ही फल व सब्जियां बेचे। मार्किट कमेटी स्टाफ को जो फीस दी जाती है, उसकी रसीद अवश्य लें। किसी भी समय पर चैकिंग के दौरान यदि आपके पास रसीद नहीं मिलती है, तो आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। किसान/अपनी मण्डि/किसान बाजार में रास्ते में सामान रखने वाले किसान/वैण्डर के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी, जरूरत पडने पर बल का प्रयोग किया जा सकता है तथा सामान जब्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी।

—हस्ता—

सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी
मार्किट कमेटी, पंचकूला।

—हस्ता—

अध्यक्ष—एवं—मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मार्किट कमेटी, पंचकूला।